POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 17.05.2026

1.थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 14.05.2026 को अभियुक्त हिमांशु भाटी पुत्र विजेन्द्र भाटी द्वारा अवैध शस्त्र से वादी के पुत्र पर फायर किया गया था, जिसके संबंध में थाना जेवर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त हिमांशु भाटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी क्रम में अवैध तमंचा के स्त्रोत के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की जा रही जाँच के क्रम में अभियुक्त भजन सिह पुत्र कैलास चन्द का नाम प्रकाश में आया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.05.2026 को थाना जेवर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से अभियुक्त भजन सिह पुत्र कैलाश चन्द को झाझर व डूढ़ेरा रोड़ के बीच से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. भजन सिह पुत्र कैलाश चन्द निवासी ग्राम सवाई, थाना ऐतमादपुर, जनपद आगरा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0160/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

2.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 01 चैन, 01 जोडी टॉप्स, 01 मोबाइल फोन व 650 रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.05.2026 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त 1-शिवम कुमार पुत्र संजय कुमार ठाकुर 2-विशाल पुत्र दिलीप कुमार मिश्रा, 02 अभियुक्ता 1-रानी मिश्रा पत्नी ललन पण्डित 2-राखी पत्नी पंकज को एनएसईजेड पुस्ता रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 चैन मय पैन्डेन्ट (पीली धातु), 01 जोडी टॉप्स (पीली धातु), 01 मोबाइल फोन व 650 रुपये नगद बरामद हुए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा महिलाओं को काम दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधडी/ठगी कर आर्थिक लाभ कमाया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवम कुमार पुत्र संजय कुमार ठाकुर निवासी ग्राम हरपुर भुसकौल, थाना पूशा, जिला समस्तीपुर बिहार वर्तमान पता ग्राम भंगेल थाना फेस-2, नोएडा उम्र 23 वर्ष।
2. विशाल पुत्र दिलीप कुमार मिश्रा निवासी ग्राम ढ़ेग मनियारी, थाना सुप्पी, जिला सीतामढ़ी, बिहार वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा उम्र 24 वर्ष।
3. रानी मिश्रा पत्नी ललन पण्डित निवासी ग्राम नैनी, थाना मुफसिल, जिला छपरा, बिहार वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
4. राखी पत्नी पंकज निवासी ग्राम रणखण्डी, थाना रणखण्डी, जिला सहारनपुर वर्तमान पता ग्राम भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0196/2026 धारा 318(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-2, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 चैन मय पैन्डेन्ट (पीली धातु)
2. 01 जोडी टॉप्स (पीली धातु)
3. 01 मोबाइल फोन
4. 650 रुपये नगद

3.थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम में वांछित व 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.05.2026 को थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना इकोटेक 3 पर पंजीकृत 03 मुकदमों से सम्बन्धित 2022 से वांछित/10,000 रुपए पुरस्कार घोषित अभियुक्त इरफान उर्फ नेता पुत्र मेहरबान को डंपिंग यार्ड के पास दादरी रोड पर बस स्टैंड से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. इरफान उर्फ नेता पुत्र मेहरबान निवासी अशालकपुर फरुख नगर थाना टीला मोड गाजियाबाद, हाल पता काली मेला थाना काली मेला जिला मलखान गिरी उडीसा, उम्र 38 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-531/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 645/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 487/23 धारा 174 ए भा०व०वि० थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।